बिल का सारांश

बाल विवाह निषेध (संशोधन) बिल, 2021

- लोकसभा में 21 दिसंबर, 2021 को बाल विवाह निषेध (संशोधन) बिल, 2021 पेश किया गया। बिल महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाने के लिए बाल विवाह निषेध एक्ट, 2006 में संशोधन करता है।
- **महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाना**: एक्ट में प्रावधान है कि पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। बिल महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करता है। बिल विवाह संबंधी कुछ अन्य कानूनों में भी संशोधन करता है ताकि उन कानूनों में महिलाओं की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया जा सके। ये कानून हैं: (i) भारतीय ईसाई विवाह एक्ट, 1872, (ii) पारसी विवाह एवं तलाक एक्ट, 1936, (iii) विशेष विवाह एक्ट, 1954, (iv) हिंदू विवाह एक्ट, 1955, और (v) विदेश विवाह एक्ट, 1969।
- **बाल विवाह को खत्म करने के लिए याचिका दायर करने की समय अवधि**: एक्ट के अंतर्गत बाल विवाह का मतलब यह है कि जिसमें विवाह का कोई भी एक पक्ष बच्चा हो (यानी विवाह की न्यूनतम आयु से कम आयु वाला)। एक्ट में प्रावधान है कि बाल विवाह को उस पक्ष द्वारा खत्म किया जा सकता है जो विवाह के समय बच्चा था। वह पक्ष विवाह को खत्म करने के आदेश के लिए जिला अदालत में याचिका दायर कर सकता है। उस पक्ष को बालिग होने के दो वर्ष के अंदर यह याचिका दायर करनी होती है (यानी 20 वर्ष का पूरा होने से पहले)। बिल इसमें संशोधन करता है और कहता है कि उस पक्ष को बालिग होने के पांच वर्ष के भीतर यह याचिका दायर करनी होगी (यानी 23 वर्ष का पूरा होने से पहले)।
- महिलाओं की विवाह की न्यूनतम को आयु बढ़ाने तथा बाल विवाह को खत्म करने के लिए याचिका दायर करने की समय अवधि में संशोधन, बिल को सम्मति मिलने की तारीख से दो वर्ष बाद प्रभावी होंगे।
- **विवाद की स्थिति में एक्ट ही लागू होगा**: बिल कहता है कि अगर किसी कानून या प्रथा, रूढ़ि (जोकि विवाह से संबंधित पक्षों को नियंत्रित करती हैं), का एक्ट से अंतर्विरोध होता है तो उस स्थिति में एक्ट ही लागू होगा।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च ("पीआरएस") के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

ओमिर कुमार
omir@prsindia.org

22 दिसंबर, 2021